भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2328

उत्तर देने की तारीख 03.08.2023

एमएसएमई समाधान

2328. डॉ. हिना विजयकुमार गावीत:
प्रो. रीता बहुगुणा जोशी:
डॉ. सुजय विखे पाटील:
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:
श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल:
श्री कृष्णपाल सिंह यादव:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) समाधान पहल के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को मिलने वाले विलंबित भुगतानों को हतोत्साहित करने के लिए कड़े दंड अथवा निवारक उपायों को लागू करने पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा शीघ्र भुगतान मानदंडों का प्रभावी प्रवर्तन सुनिश्चित करने और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) एमएसएमई समाधान पहल के माध्यम से हल किए गए मामलों की संख्या संबंधी आंकड़ों का ब्यौरा क्या है और इन्हें हल करने में औसतन कितना समय लगता है;

(घ) क्या एमएसएमई समाधान पहल एमएसएमई और उनके खरीदारों के बीच भुगतान लेन-देन में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भुगतान विवादों की निगरानी और उनका पता लगाने के लिए स्थापित प्लेटफार्मों का ब्यौरा क्या है और ऐसे विवादों का स्पष्ट और निष्पक्ष समाधान सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा)

(क) और (ख) : सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के विलंबित भुगतानों के विलंब के निवारण के लिए कई कदम उठाए हैं जो निम्नानुसार हैं:-

- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के विलंबित भुगतानों के मामलों के समाधान के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषदों (एमएसईएफसी) की स्थापना की गई है।
- एमएसएमई मंत्रालय द्वारा दिनांक 30.10.2017 को शिकायतों को दर्ज करने तथा एमएसई से वस्तुओं और सेवाओं के खरीदारों से बकाया भुगतान की निगरानी करने के लिए समाधान पोर्टल अर्थात (https://samadhaan.msme.gov.in/MyMsme/MSEFC/MSEFC_Welcome.aspx) की शुरुआत की गई है ।
- एमएसएमई मंत्रालय ने विलंबित भुगतानों से संबंधित मामलों को शीघ्रता से निपटाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अधिक संख्या में एमएसईएफसी की स्थापना करने का अनुरोध किया है। अभी तक दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में एक से अधिक एमएसईएफसी की स्थापना के साथ 152 एमएसईएफसी स्थापित हो चुके हैं।

- एमएसएमई मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत घोषणाओं के बाद केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से एमएसएमई को बकाया और मासिक भुगतान की सूचना देने हेतु दिनांक 14.06.2020 को समाधान पोर्टल के भीतर एक विशेष उप-पोर्टल सृजित किया है।
- भारत सरकार द्वारा सीपीएसई और 500 करोड़ रुपए से अधिक टर्नओवर वाली सभी कंपनियों को व्यापार प्राप्य की छूट की सुविधा के लिए प्राप्य छूट प्रणाली (ट्रेड्स) जो कि बहु वित्तपोषकों के माध्यम से एमएसएमई व्यापार प्राप्तियों की छूट के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म है, पर शामिल होने के लिए निर्देशित किया है।
- कंपनियां जो सूक्ष्म और लघु उद्यमों से वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति प्राप्त करते हैं और जिसका भुगतान वस्तुओं और सेवाओं की स्वीकृति की तिथि अथवा वस्तुओं और सेवाओं को प्राप्त करने की तिथि से 45 दिन अधिक हो गया हो उन्हें भी बकाया भुगतान की राशि विलंब के कारणों को दर्शाते हुए कारपोरेट कार्य मंत्रालय को छमाही रिर्टन दाखिल करना होगा।
- बजट 2023 की घोषणा: आय कर अधिनियम की धारा 43 ख : भुगतान पर किए गए व्यय के लिए छूट तभी अनुमत होगी जब वास्तव में एमएसएमई को भुगतान किया गया हो।

(ग) : एमएसई विलंबित भुगतानों के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषदों (एमएसईएफसी) में आवेदन कर सकते हैं। एमएसईएफसी द्वारा आवेदनों की स्वीकृति के बाद यह मामला का रूप ले लेता है। दिनांक 30.10.2017 (शुरुआत की तिथि) से 31.07.2023 तक समाधान पोर्टल पर दर्ज आवेदनों/मामलों का विवरण निम्नानुसार है:-

विवरण	आवेदन/मामलों की संख्या	सम्मिलित राशि (करोड़ रुपए में)
1. आपसी समझौते से निपटाए गए आवेदन	14,508 (9.35%)	1,860.6 (5.01%)
2. एमएसईएफसी द्वारा निपटाए गए मामले	30,322 (19.53%)	8,878.7 (23.89%)
3. एमएसईएफसी द्वारा अस्वीकृत मामले	39,409 (25.39%)	7,830.52 (21.07%)
4. एमएसईएफसी के पास वर्तमान में विचारार्थ मामले	32,262 (20.78%)	11,392.3 (30.65%)
5. एमएसईएफसी द्वारा अभी जो आवेदन देखे जाने हैं	38,739 (24.95%)	7,203.7 (19.38%)
6. एमएसई द्वारा दर्ज किए गए आवेदन (1+2+3+4+5)	1,55,240 (100.00)	37,165.82 (100.00)

आवेदनों की समीक्षा में लिया गया समय और विवादों के समाधान के लिए लिया गया निर्णय मामला दर मामला और सभी एमएसईएफसी में अलग-अलग हो सकता है।

(घ) और (ड.) : एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसार जब एक खरीदार वस्तुओं/सेवाओं की प्राप्ति के 45 दिनों के भीतर आपूर्तिकर्ता (लघु और सूक्ष्म उद्यम) को भुगतान नहीं करता है तो खरीदार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित बैंक दर के 3 गुणा राशि पर, आपूर्तिकर्ता को मासिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान करने के लिए बाध्य होगा।

*****